न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 55 / 2023

अपीलांट–	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स –
1. गोपालसिंह पुत्र हड़मतसिंह 2. मीरोदेवी पुत्री हड़मतसिंह 3. गौतमसिंह पुत्र हड़मतसिंह 4. दिलीपसिंह पुत्र हड़मतसिंह 5. कौशल्यादेवी पुत्री हड़मतसिंह 6. मथरादेवी पत्नी हड़मतसिंह 7. रूपसिंह पुत्र दुर्गसिंह 8. रूकमणीदेवी पुत्री दुर्गसिंह 9. लीलादेवी पुत्री दुर्गसिंह 10.मंगला पुत्र वस्ताजी 11 भीखा पुत्र वस्ताजी जातियान राजपुरोहित, निवासीयान कालूड़ी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।		1 श्रीमान तहसीलदार एवं भूमिधारक महोदय, पचपदरा 2 श्रीमान उप तहसीलदार (उप पंजीयन अधिकारी) जसोल 3 श्रीमान भू–अभिलेख निरीक्षक तिलवाड़ा 4 श्रीमान हल्का पटवारी कालूड़ी 5 शंकरसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी–कालूड़ी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 637 जो दिनांक 08.03.2016 को नायब तहसीलदार जसोल द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री उम्मेदसिंह चंपावत, अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री दिनेश कुमावत, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 05 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 20.03.2024

1. अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत सरहद मौजा कालूड़ी के नामान्तरकरण संख्या 637 पर उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 08.03.2016 के विरूद्ध दिनांक 12.04.2023 को प्रस्तुत की गई हैं।

2. अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि खेत खसरा नंबर 6 रकबा 256 बीघा व खसरा नंबर 17 रकबा 285.06 भूमि सरहद मौजा कालूड़ी का दिनांक 19.01.2016 को हल्का पटवारी कालूड़ी द्वारा नामान्तरणकरण खोला गया व उप तहसीलदार जसोल द्वारा दिनांक

जिला कलक्टर
बालोतरा

08.03.2016 को स्वीकृत कर किया गया। उप तहसीलदार द्वारा स्वीकृति आदेश 08.03.2016 के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि उक्त नामान्तरकरण इस कारण से खोलकर स्वीकृत किया गया था कि सहायक कलक्टर बालोतरा के वाद संख्या 94/2003 निर्णय दिनांक 19.01.2016 एवं उप तहसीलदार जसोल के आदेश की पालना में खोलकर उप तहसीलदार जसोल द्वारा स्वीकृत किया गया था। उक्त वाद निर्णय की अपील हम अपीलांटगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी महोदय बाड़मेर के समक्ष अपील संख्या 18/2019 पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 29.08.2019 को पारित कर आदेशित किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य सबूत लेकर नए सिरे से प्राथमिक डिक्री जारी कर एवं तहसीलदार से मौका दिखाकर नियमानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन प्रस्ताव गुणाव–गुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे। राजस्व अपील अधिकारी महोदय बाड़मेर के निर्णय की पालना में उप तहसीलदार जसोल द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक तिलवाड़ा को दिनांक 26.06.2022 को व तहसीलदार महोदय पचपदरा द्वारा उप तहसीलदार जसोल को दिनांक 19.09.2019 को एवं भू–अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी को भी आदेश दिया दिया गया था कि नामान्तरकरण संख्या 637 खारिज कर राजस्व अभिलेख की पूर्व स्थिति बहाल की जावे। मगर उसकी आज रोज तक पालना नहीं की गई है। उक्त म्युटेशन को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

5. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के वाद संख्या 94/2003 के निर्णय की पालना में जो नामान्तरकरण भरा गया था वो निर्णय ही अपीलय न्यायालय द्वारा निरस्त फरमा दिया गया है। हल्का पटवारी द्वारा उक्त गलत रूप से भरे गए नामान्तरकरण की आड़ में अपीलांटगण एवं उनके परिवार के पानी के टांके, ढाणीया एवं आने जाने के रास्ते इत्यादी भी रेस्पोडेंट संख्या 5 की खातेदारी भूमि में बिना किसी आदेश के राजस्व अभिलेख में तरमीम में दर्शाकर बता दिए गए है, जिससे मौके पर निरतंर लड़ाई–झगड़े हो रहे है ओर इसी

जिला कलक्टर
बालोतरा

कारण आपराधिक न्यायालयों में प्रकरण भी दर्ज होकर दोनों पक्षों के मध्य लंबित है। यहां तक कि प्राथमिक डिक्री की पालना मौके पर पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार स्थित भूमि के अनुरूप पालना नहीं की गई है, जिससे भी उक्त नामान्तरकरण अपील स्वीकार योग्य है।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण ने कथन किया कि जिस डिक्री की पालना में विवादित म्युटेशन खोला गया, यदि ऐसी डिक्री को सेटेसाइड किया गया है तो उसकी पालना में पूर्व स्थिति कायम करने हेतु धारा 144 दिवानी प्रकिया संहिता के तहत एसडीओ कोर्ट में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पूर्व स्थिति बहाल करवाये जाने का प्रावधान है, इसलिए अपील चलने योग्य नहीं है।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसमें पाया कि वर्तमान प्रकरण में विवादित म्युटेशन संख्या 637 जो खसरा संख्या 6, 17 मौजा कालुडी से संबंधित है को हल्का पटवारी कालुड़ी द्वारा दिनांक 02.03.2016 को विभाजन डिक्री सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 94 / 2003 निर्णय दिनांक 19.01.2016 के आधार पर खोलना बताया है, जिसे अधीनस्थ उप तहसीलदार जसोल द्वारा दिनांक 08.03.2016 को स्वीकृत करना बताया है, उक्त म्युटेशन जिस निर्णय डिक्री दिनांक 19.01.2016 के आधार पर खोला गया है ऐसे निर्णय व डिक्री को अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के द्वारा राजस्व अपील / 2023 / रा.का.अ. / 18 / 2019 बाड़मेर में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2019 के अपील अपीलांट स्वीकार कर अपास्त कर दिया और मामला पुनः प्रतिप्रेषित किया गया, अपील न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिनांक 29.08.2019 को पारित किया है, उसे किसी सक्षम अपील न्यायालय द्वारा उसके प्रभाव को स्थगित किया हो या बदला हो ऐसा कोई कथन रेस्पोडेंट अधिवक्ता नहीं किया और न उनकी और से ऐसा कोई दस्तावेज ही पेश किया है। ऐसी स्थिति में आलोच्य म्युटेशन को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली में अपीलांट की ओर से पेश दस्तावेज में उप तहसीलदार जसोल द्वारा पत्र क्रमांक / भू.अ. / 2022 / 775 दिनांक 29.06.2022 को भू.अ.नि. तिलवाड़ा, पटवारी कालूड़ी को जारी कर ऐसे पत्र में उल्लेख किया है कि पूर्व में दायर नामान्तरण संख्या 637 को निरस्त करते हुए म्युटेशन संख्या 637 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए खसरा संख्या 6 तथा 17 के वर्तमान रकर्ड से मिलान कर नये सिरे से प्राथमिक डिक्री तैयार कर पालना पेश करे। उसके उपरांत भी रेकर्ड में जो निर्णय, डिक्री निरस्त हो चुकी थी के आधार पर पारित म्युटेश का आंकन रिकॉर्ड में चल रहा है, जिसे यथावत रखना न्यायाचित प्रतीत नहीं होता है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 637 उप तहसीलदार जसोल दिनांक 08.03.2016 को निरस्त किया जाकर, रेकर्ड में म्युटेशन संख्या 637 से पूर्व स्थिति कायम रखा जाये।

9. निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा